दिनांक–13.02.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (2) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (5) श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियोंको बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DDC या DPRO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

अद्यतन स्थिति तक पटना, दरभंगा, गया जी, नालंदा, खगड़िया, सुपौल, बेगूसराय, नवादा, सहरसा, बक्सर, मुंगेर, अरवल एवं शिवहर जिलो में कुल लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विरूद्ध 60 प्रतिशत से भी कम उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि सभी DDC एवं DPRO अपने स्तर से विस्तृत समीक्षा कर तथा विशेष कैम्प आयोजित कर लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन करवायें। जिन जिलों में स्वीकृति आदेश एवं आवंटन आदेश की समस्या आ रही है वें विभाग के UC Cell से सम्पर्क कर उपलब्ध दस्तावेज प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

कृ0पृ0उ0

जिन जिलो द्वारा पिछले एक सप्ताह मे शून्य उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित की गयी है, उन जिलो के प्रधान अंकेक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा–07, पंचायती राज विभाग, बिहार)

II. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण तथा क्रियाशीलता की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु औरंगाबाद, भागलपर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया जी, गोपालगंज, मधेपुरा, नालंदा, पटना, पूर्णियां, समस्तीपुर एवं सारण जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

कतिपय जिलो द्वारा बताया गया कि BCD एवं LAEO के अभियंता के द्वारा निर्मित पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण में रूचि नहीं ली जा रही है या हस्तांतरण की प्रक्रिया काफी धीमी है। इस संबंध में सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि जिन जिलो में निर्मित पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण में आशातीत प्रगति नहीं हो रही है, उन जिलो के जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर संबंधित BCD एवं LAEO के अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग की जाए।

(ख) पंचायत सरकार भवन के व्यय प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी 38 जिलो को कुल आवंटित Rs 327.86 करोड़ की राशि के विरूद्ध मात्र Rs102.17 करोड़ की राशि ही व्यय की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी DDC एवं DPROको निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इसकी नियमित समीक्षा कर अवशेष राशि के व्यय हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। अवशेष राशि का उपयोग पूर्व से ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन तथा नये 1069 पंचायत सरकार भवन मे किया जा सकता है। यह भी निदेश दिया गया कि जिन जिलो के द्वारा इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व शेष राशि व्यय नहीं की जाएगी, उन जिलो के DPRO पर जबाबदेही तय कर विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. पंचायतों में मोक्ष–धाम की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 8053 पंचायतों में से मात्र 5848 शवदाह–गृह की विवरणी ही पोर्टल में प्रविष्टि की गई है। इस पर चिंता व्यक्त की

लगातार.....

गयी तथा सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए सरकारी भूमि पर अवस्थित एवं संचालित सभी शवदाह–गृह की विवरणी दो दिनो के अंदर पोर्टल में प्रविष्ट की जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के चतुर्थ चरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 14 जिलो द्वारा एक भी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाए। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए।

सभी चरणों को मिलाकर मधेपुरा, मधुबनी, सारण, सहरसा, सिवान, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज जिलें में कार्यादेश के विरूद्ध अधिष्ठापन का प्रतिशत काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि 31.03.2025 तक शेष सभी सोलर स्ट्रीट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी DPRO यह सुनिश्चित करे कि CMS का dashboard संबंधित उनके कार्यालय कक्ष में होना चाहिए। सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन के उपरान्त CMS पर प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि मानी जाए।

यह भी निदेश दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा से पहले सभी service center की जाँच कर यह सुनिश्चित करे कि वह पूर्ण रूप से संचालित हो ।

(ख). सोलर स्ट्रीट लाईट योजनान्तर्गत व्यय/निकासी की गयी राशि की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी 38 जिलो को कुल आवंटित Rs 350.00 करोड़ की राशि के विरूद्ध मात्र Rs221.34 करोड़ की राशि ही व्यय की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इसकी नियमित समीक्षा कर अवशेष राशि के व्यय हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। यह भी निदेश दिया गया कि सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के समापन के लिए जितनी राशि की आवश्यकता है, उससे संबंधित अधियाचना एक सप्ताह के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें ताकि ज्ञात हो सके की इस योजना के समापन के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है।

(ग). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जहानाबाद, पश्चिम चम्पारण, समस्तीपुर, बांका, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों

लगातार.....

के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि रोहतास, शिवहर, वैशाली, सारण एवं बक्सर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी पंचायत सचिव का CMS से संबंधित User Id create करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः—संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

25/2/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः—9प० / विविध—01—247 / 2023 / 3829 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 27/2/**2026**
प्रतिलिपिः—बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार / सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्भय 26.2.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः—9प० / विविध—01—247 / 2023 / 3829 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 27/2/**2026**
प्रतिलिपिः—सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव के आशुलिपिक / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्भय 26.2.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः—9प० / विविध—01—247 / 2023 / 3829 **/ पं०रा० पटना, दिनांक** 27/2/**2026**
प्रतिलिपिः—आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई—मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निर्भय 26.2.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव